2022/245

प्रपत्र–6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरनियाखेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 29, 45, 69 में कान्ता बि. डेवी दर्ज है जबकि मुताबिक संलग्न कन्हैयालाल डेवी बरेला है अतः

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांकः– 17/06/2022

(कि कन्हैयालाल)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम अरनियाखेड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 29,45,69 में प्रार्थी का नाम कान्ता बि. डेवी दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार कार्ड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम कन्हैयालाल डेवी है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

17/06/2022
पटवारी
पटवारी प. म.
हल्का पिपलोदा

भू0अ0नि0 सही है

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अरनियाखेड़ा भू0अ0नि0 सही एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम अरनियाखेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 29,45,69 में प्रार्थी का नाम कान्ता के बजाय कन्हैयालाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)
17/6/22
तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

194/22
17/6/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम अरनियाखेड़ा जमाबन्दी सम्वत 2076-79 खाता संख्या 29,45,69 में दर्ज प्रार्थी का नाम कान्ता के स्थान पर कन्हैयालाल संशोधन के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)